

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

-: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(क) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशु चिकित्सा फार्मिसिस्ट का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री हरीश चन्द्र पन्त, पशु चिकित्सा फार्मिसिस्ट	पशु चिकित्सालय, सचल रुद्रपुर-ऊधमसिंहनगर	पशु चिकित्सालय, मानिला जनपद-अल्मोड़ा	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-  
(डा० उदय शंकर)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 1194 /स्था०-01/वा०स्था०-५०चि०फार्मे०/2024-25, दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, सचल रुद्रपुर-ऊधमसिंहनगर।
- 3- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, मानिला-अल्मोड़ा।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर/अल्मोड़ा।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/अल्मोड़ा।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)  
अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01



कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

-: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-7 (घ)(दो) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशु चिकित्सा फार्मसिस्ट का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-7(घ)(दो) के अनुसार (सुगम से सुगम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री भुवन चन्द्र आर्य, पशु चिकित्सा फार्मसिस्ट	पशु चिकित्सालय, प्रतापपुर जनपद-ऊधमसिंहनगर	पशु चिकित्सालय, सचल रूद्रपुर-ऊधमसिंहनगर	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-  
(डा० उदय शंकर)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 1195 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०चि०फार्मे०/2024-25, दिनांक 31-07-2024

- प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
  - 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, प्रतापपुर-ऊधमसिंहनगर।
  - 3- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, सचल रूद्रपुर-ऊधमसिंहनगर।
  - 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
  - 5- मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
  - 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)  
अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

-: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-7 (घ)(दो) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशु चिकित्सा फार्मसिस्ट का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-7(घ)(दो) के अनुसार (सुगम से सुगम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अजय मेवाड़ी, पशु चिकित्सा फार्मसिस्ट	पशु चिकित्सालय, शक्तिफार्म जनपद-ऊधमसिंहनगर	पशु चिकित्सालय, प्रतापपुर जनपद-ऊधमसिंहनगर	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-  
(डा० उदय शंकर)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 1136 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०चि०फार्म०/2024-25, दिनांक 31-07-2024

- प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
  - 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, शक्तिफार्म-ऊधमसिंहनगर।
  - 3- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, प्रतापपुर-ऊधमसिंहनगर।
  - 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
  - 5- मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
  - 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)  
अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश —:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ग) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशु चिकित्सा फार्मसिस्ट का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ग)-अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सुनील कुमार शर्मा, पशु चिकित्सा फार्मसिस्ट	पशु चिकित्सालय, मानिला जनपद-अल्मोड़ा	पशु चिकित्सालय, शक्तिफार्म जनपद-ऊधमसिंहनगर	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-  
(डा० उदय शंकर)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 1197 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०चि०फार्मे०/2024-25, दिनांक 31-07-2024  
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-  
सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।  
1- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, मानिला-अल्मोड़ा।  
2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, शक्तिफार्म-ऊधमसिंहनगर।  
3- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा/ऊधमसिंहनगर।  
4- मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/ऊधमसिंहनगर।  
5- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।  
6-

(डा० उदय शंकर)  
अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

-: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 198739/XXX(2)/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 14 मार्च, 2024 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2024-25 हेतु गण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशु चिकित्सा फार्मसिस्ट का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री त्रिलोकमणि भट्ट, पशु चिकित्सा फार्मसिस्ट	पशु चिकित्सालय, अस्कोट जनपद-पिथौरागढ़	पशु चिकित्सालय, बलुवाकोट जनपद-पिथौरागढ़	अनुरोध के आधार पर

- उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।
- अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-  
(डा० उदय शंकर)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 1198 /स्था०-01/वा०स्था०-प०चि०फार्म०/2024-25, दिनांक 31-07-2024  
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, अस्कोट-पिथौरागढ़।
- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बलुवाकोट-पिथौरागढ़।
- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़।
- मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)  
अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

-: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानों एवं निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून से प्राप्त अनुमोदन दिनांक 31-07-2024 के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशु चिकित्सा फार्मसिस्ट का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (ख) अनुसूची के आधार पर स्थानान्तरण

क्र०सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती रुचि मिश्रा पशु चिकित्सा फार्मसिस्ट	राजकीय पशु चिकित्सालय, भनोली जनपद-अल्मोड़ा	राजकीय पशु चिकित्सालय, मौलेखाल जनपद-अल्मोड़ा	अनुसूची के आधार पर

- उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।
- अनुसूची के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ते हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-  
(डा० उदय शंकर)  
अपर निदेशक।

पत्रांक 1201 /स्था०-01/वा०स्थाना०-वै०फा०/2024-25, दिनांक 31-07-2024

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय, भनोली जनपद-अल्मोड़ा।
- पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय, मौलेखाल जनपद-अल्मोड़ा।
- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा।
- मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० उदय शंकर)  
अपर निदेशक।